भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 125

जिसका उत्तर, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया गया

आरबीआई के साथ बैंक निक्षेप

125. श्री श्रीधर कोटागिरीः
श्री एम॰वी॰वी॰ सत्यनारायणः
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के संज्ञान में यह आया है कि सरकार उदार मौद्रिक नीति रुख के बावजूद बैंक ऋण देने के बजाय भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के पास अपने निक्षेपों को जमा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पूर्व के तीन वित्त वर्षों के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सरकारी बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के निक्षेपों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आरबीआई को अनुदेश दिए हैं कि आरबीआई अपने पास निक्षेप रखने वाले बैंकों को हतोत्साहित करे और इसके स्थान पर आर्थिक चक्र में तेजी लाने के लिए ऋण देना आरंभ करे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): जी, नहीं। बेसल-III पूँजी विनियमन के संबंध में आरबीआई के दिनांक 1.7.2015 के मास्टर परिपत्र के अनुसार, बैंक की आरक्षित निधि सामान्य इक्विटी टियर-I (सीईटी1) का भाग होता है और चूँकि यह दीर्घावधि संसाधन है अत: इसे दीर्घावधि आस्तियों जैसे दीर्घावधि अवसंरचना परियोजना में लगाया जाता है और इसे आरबीआई में नहीं रखा जाता है।

(ख) से (घ): प्रश्न नहीं उठता है।

*****